शोध मंथन, Impact Factor 5.463 (SJIF), UGC No. 40908 ISSN: (P): 0976-5255, (e) : 2454-339X,
Vol. 9, Issue 3, pp (43-49), Month: Sep. 2018

लोकतंत्र एवं निर्वाचन सुधार : चुनौतियाँ एवं समाधान

इम्तियाज अहमद
असि0 प्रोफे0, राजनीति शास्त्र एवं लोक प्रशासन विभाग,
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, मोहान रोड, लखनऊ
उत्तर प्रदेश, भारत
Email: imtiyazdsmru@gmail.com

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र में भारतीय लोकतंत्र के अंतर्गत चुनाव व्यवस्था के संदर्भ में यह उद्घाटित करने का प्रयास किया गया है कि वर्तमान में निर्वाचन व्यवस्था में क्या समस्याएं हैं और उनका कैसे समाधान किया जा सके जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को निर्वाध गति से संचालित किया जा सके।

मुख्य शब्द– *प्रतिनिधित्यात्मक लोकतंत्र, संघवाद, निर्वाचन व्यवस्था, चुनाव आयोग, सेफ्रोलॉजी, चुनाव सुधार*

प्रस्तावना

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसके नागरिक होने का हम सबको गर्व है। भारत ने प्रतिनिध्यात्मक लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया है। भारत में लोकतंत्र एक सतत प्रक्रिया है, यह कोई एकाएक आने वाला अवसर नहीं है। देश की लोकतांत्रिक संस्थायें आम आदमी का वोट पाकर वे सभी वैध बन जाते हैं, जैसे कि पंचायतें, नगर निगम, राज्य विधायिका तथा संघीय संसद, ये सभी वैधता के लिए नागरिकों के वोट पर निर्भर करती हैं। लोकतंत्र की अवधारणा का इतिहास इतना लम्बा है कि इसकी कोई निश्चित परिभाषा न होना आश्चर्य की बात नहीं। समय, परिस्थितियों तथा विभिन्न हितों की आवश्यकतानुसार विभिन्न युगों के विचारकों ने लोकतंत्र की भिन्न–भिन्न परिभाषायें प्रस्तुत की है। इसी तरह मेयो के अनुसार ''लोकतंत्रीय राजनीतिक व्यवस्था वह है जिसमें सार्वजनिक नीतियाँ बहुमत के आधार पर उन प्रतिनिधियों द्वारा बनाई जाए जो जनसाधारण के कारगर नियंत्रण में रहें और जो राजनीतिक स्वतंत्रता की परिस्थितियों में, राजनीतिक समानता के नियम के अनुसार समय–समय पर होने वाले चुनावों द्वारा चुने गये हों।''[1]

ऐसा कहा जाता है कि चुनाव की शुरूआत प्राचीन काल में यूनान के नगर एथेंस से हुई और बाद मे इसे रोम वालों ने अपना लिया। वहीं से ग्रीक भाषा में 'सेफ्रोलाजी' शब्द का

प्रादुर्भाव हुआ जिसका अर्थ है–चुनाव और चुनावी प्रवृत्तियों का अध्ययन। परन्तु ध्यान रहे कि भारत में लोकतंत्र एथेंस से भी पहले आया था। प्राचीन भारत से यही महान परम्परा हमें विरासत में मिली है और इसी सिद्धान्त के आधार पर भारत का संविधान हमें कर्त्तव्यों की याद दिलाता है।[2] लक्ष्मीचरण सेन और अन्य बनाम ए0के0एम0 हसनुज्जमां और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के कथनानुसार ''भारत तो लोकतंत्र का नखलिस्तान है, समसामयिक इतिहास की सच्चाई है।''[3] यह बात तब और अधिक सच लगती है विशेषकर जब हम अपने उन पड़ोसी देशों की ओर देखते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के आस–पास ही आजादी पाई।एक आम सुशिक्षित आदमी जब लोकतंत्रीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सोचता है तो अक्सर लोकतंत्र की ये विशेषतायें उनके ध्यान में आती हैं[4] –

1) जनता की इच्छा की सर्वोच्चता 2) जनता के द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधि सरकार 3) निष्पक्ष तथा भयमुक्त आवधिक चुनाव 4) वयस्क मताधिकार 5) उत्तरदायी सरकार 6) सीमित तथा संविधानिक सरकार 7) सरकार के हाथों में राजनीतिक शक्ति जनता की अमानत के रूप में 8) सरकार के निर्णयों में सलाह, दबाव तथा जनमत के द्वारा जनसहभागिता 9) जनता के अधिकारों एवं स्वतंत्रता की हिफाजतसरकार का कर्त्तव्य होना 10) स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका 11) कानून का शासन 12) विभिन्न राजनीतिक दलों तथा दबाव समूहों की उपस्थिति

राजनीतिक व्यवस्था के रूप में जिस शासन में अधिकतर जनता का हिस्सा हो, जहाँ राजनीतिक फैसलों में जनता तथा जनमत की भूमिका हो, जनता को पर्याप्त अधिकार प्राप्त हो, सरकार आम जनता के सामान्य हित में कार्य करती हो, नियमित चुनाव हों, प्रतिनिधि सरकार हो और वह जनता के प्रति उत्तरदायी हो, तो वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था लोकतंत्रीय मानी जा सकती है।[5] लोकतंत्रात्मक सरकार के निर्माण के लिए मताधिकार अपरिहार्य है और मताधिकार का सही प्रयोग करके लोकतंत्रात्मक सरकार को सफल बनाने के लिए नागरिकों को शिक्षित होना भी अत्यन्त आवश्यक है।[6]

भारतीय लोकतंत्र में चुनाव :–पहले हम लोकतंत्र की विशेषता का उल्लेख कर चुके हैं, जिसे देखकर सहज ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि किसी देश में लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव कितना महत्पूर्ण है या यूँ कहें कि निष्पक्ष चुनाव के अभाव में वहाँ लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। इनमें से कुछ का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है जो निम्न हैं–

1.सरकार द्वारा चुनाव की घोषणा करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग अपने कार्य में लग जाता है। इस घोषणा के साथ ही उम्मीदवार एवं राजनैतिक दल जनता के मतों को अपने पक्ष में करने के लिए चुनाव प्रचार जोर–शोर से करते हैं। यह देखने में आ रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऐसे मतदाताओं की संख्या दिनोंदिन तेजी से बढ़ती जा रही है, जो चुनाव प्रचार के काफी पहले ही अपने वोट के बारे में फैसला कर लेते हैं, इनकी संख्या 1996 में 28 प्रतिशत थी जो बढ़कर 2004 में 54 प्रतिशत हो गई। इससे स्पष्ट है कि हाल के वर्षों में विभिन्न राजनीतिक दलों के बारे में मतदाताओं की प्रतिबद्धता बढ़ गई है। शेष अस्थिर मन वाले मतदाताओं की संख्या में कमी निश्चित रूप से आई है जो अपनी राजनीतिक पसन्द के बारे में फैसला चुनाव प्रचार के दौरान

या मतदान से एक दिन पूर्व लेते हैं, किन्तु मतदाताओं का यही वर्ग वास्तव में चुनाव नतीजे तय करता है।[7]

2.जब हम अपनी चुनाव प्रणाली पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि हमारी चुनावी व्यवस्था मुख्यताः तीन 'सी'—कैश (पैसा), क्रिमिनल (बाहुबली, अपराधी) तथा करप्शन (भ्रष्टाचार) से पीड़ित है। वर्तमान समय में निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श चुनाव संहिता (जिसका आगे उल्लेख किया गया है) पर सख्ती और प्रभावी ढ़ंग से अमल कराये जाने के साथ ही सरकार की शक्ति के दुरूपयोग पर कड़ी नजर रखने की वजह से सरकारी तंत्र का दुरूपयोग पर अब काफी हद तक लगाम लग गई है[8]। इसी को आधार बनाते हुए निर्वाचन आयोग ने 28 अगस्त 1997 को घोषित किया कि संसद और विधान सभाओं के चुनाव लड़ने के लिए संबंधित धारा 8 के अंतर्गत अयोग्य घोषित होना उसी दिन से माना जायेगा जब प्राथमिक अदालत ने उसे सजा सुनाई थी, भले ही वह अपनी अपील के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान जमानत पर छूटा हो। परन्तु उच्चतम न्यायालय ने नवजोत सिंह सिद्दू बनाम पंजाब राज्य {2007 (टी0एस0एल0) 43432} के मामले में कहा कि यदि अपीलीय अदालत ने न केवल सजा देने पर रोक लगा दी है और जमानत दे दी है, बल्कि अपील की सुनवाई के दौरान अपराधी ठहराये जाने पर भी रोक लगा दी है, तो अपराध के कारण अयोग्यता पर भी तब तक रोक लगी रहेगी।[9] जन प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 8 (4) कहता है कि यदि अपराध घोषित होने की तारिख में अपराधी संसद या विधान मण्डल का सदस्य होता है, तो उस मामले में अयोग्यता तत्काल प्रभाव से लागू नहीं होगी। बल्कि उसे कम से कम तीन महीने के लिए स्थगित कर दिया जायेगा। यदि इन तीन महीने की अवधि के दौरान घोषित अपराधी महज अपील या पुनर्विचार की याचिका दायर कर देता है तो उस अपीलयाचिका के निपटाने तक योग्यता लागू नहीं होगी। इस प्रावधान को स्पष्ट एवं सीमित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने के0 प्रभाकरन बनाम दी0 जयराजन के मामले में कहा कि धारा 8 (4) के तहत वर्तमान संसद एवं विधान मण्डल के सदस्यों को प्राप्त अयोग्यता से सुरक्षा का यह प्रावधान उनको वर्तमान सदन की सदस्यता के दौरान ही प्राप्त होगा, भविष्य में लड़े जाने वाले चुनावों के लिए नहीं।[10] उत्तर प्रदेश के 2007 के चुनाव में ऐसे माननीयों की संख्या 155 थी अर्थात् इनकी संख्या कुल विधान सभा सदस्यों की संख्या का 1/3 से अधिक है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो ऐसे माननीयों का आँकड़ा 50 प्रतिशत से ऊपर पहुँच जाएगा।[11] अब तो देखने से ऐसा ही लगता है कि राजनीतिक दलों में बड़े—बड़े अपराधियों एवं माफियाओं को अपने दल के टिकट पर प्रत्याशी बनाने व दल में शामिल करने के लिए होड़ सी लगी है। तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एस0वाई0 कुरैशी ने बड़े दुखः के साथ कहा था कि ''राजनीति के अपराधीकरण पर रोक लगाये जाने का सभी राजनीतिक दलों ने विरोध किया है।''[12] राजनीति का अपराधीकरण एवं अपराध का राजनीतिकरण, हमारे राजनीतिक सोच के पराभाव, का प्रतीक है। ये दोनों ही प्रवृत्तियाँ भारतीय लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। इन दोनों के बढ़ते प्रभाव से जनता व मतदाता गंभीर रूप से चिंतित है। पिछले कुछ वर्षों से साझा सरकारों का दौर चल रहा है। मिली—जुली सरकारों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है, जो राजनीतिक दल इसमें सम्मिलित थे

उनमें से अधिकांश को पहली बार सत्ता में आने का अवसर मिला था। वह यह भी जानते थे कि यह सत्ता कुछ ही दिनों के लिए है, अतः अपने राजनीतिक पदों से जो भी लाभ संभव हो, उठाने में संकोच नहीं करना चाहिए।[13] विकासशील देशों में चुनावी भ्रष्टाचार को राजनीतिक भ्रष्टाचार का प्रारंभिक बिन्दु माना जा सकता है। इन देषों में राजनीतिक और नौकरशाही का भ्रष्टाचार में साठ–गाँठ पाया जाती है। यदि राजनेता बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं तो नौकरशाही में भ्रष्टाचार खूब फलती–फूलती है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डा0 सर्ववल्ली राधा कृष्णान ने दूरदर्शितापूर्ण दृष्टि से इस खतरे को भापते हुए इन्होंने सवंधिान सभा में देश को इन शब्दों में सचेत किया था, ''जब तक उच्च पदों पर हम भ्रष्टाचार खत्म नहीं करते हर रूप में भाई–भतीजावाद, सत्ता लोभ, मुनाफाखोरी और काला बाजारी रोकने में कामयाब नहीं होते, तब तक हम प्रशासन और आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन और वितरण में कुशलता नहीं ला पायेगें। इन बुराइयों ने देश को बदनाम कर रखा है।[14]''यह सर्वविदित है कि भारत के निर्वाचन आयोग और संबंधित राज्यों के चुनाव आयोगों के तमाम प्रयासों के बावजूद भी भारत की मतदाता सूचियाँ न तो पूरी तरह से त्रुटिविहीन हैं और न ही अद्यतन है।

3.भारत में निर्वाचन द्वारा सरकार चुनने की प्रक्रिया स्वतंत्रतापूर्व भारत सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा प्रारम्भ हुई थी। परिषद् में पहली बार स्वतंत्र चुनाव द्वारा 1936 में जनता द्वारा जनता की सरकार चुनी गई थी। स्वतंत्रता के बाद 1950 में संविधान लागू हुआ और 1952 में प्रथम लोक सभा का गठन हुआ था और अब तक 16 लोक सभाएं गठित की जा चुकी हैं। आयोग द्वारा लोक सभा के चुनाव की घोषणा करते ही पूरे देष में एवं राज्य विधायिका व स्थानीय निकायों के संबंध में घोषणा करते ही पूरे राज्य में चुनावी आचार संहिता लागू हो जाती है और चुनाव परिणाम आने तक प्रभावी रहती है। यदि कोई भी दल या प्रत्याशी आयोग द्वारा निर्धारित किये गये दिशा–निर्देशों का पालन नहीं करता या पालन करने से इनकार करता है तो चुनाव आयोग के पास उस उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने का अधिकार होता है, साथ ही निर्वाचन आयोग को उस राजनीतिक दल या उम्मीदवार पर आवश्यक कार्यवाही करने का अधिकार भी होता है।[15]

4.इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ई0वी0एम0) सुव्यवस्थित व कुशल चुनावों का प्रतीक बन गई है। एक समय था जब ई0वी0एम0 के बारे में आपत्तियाँ और आशंकाएं जाहिर की जाती थीं, किन्तु अब इसे मान्यता मिल गई है। ई0वी0एम0 'एक मतदाता एक वोट' के सिद्धान्त पर इलेक्ट्रानिक रूप से वोट रिकार्ड करती है।

5.भारत में जिस उम्मीदवार को सर्वाधिक वोट मिल जाते हैं उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन बहुधा यह देखने में आता है कि अन्य उम्मीदवारों को मिले मतों की कुल संख्या, विजयी प्रत्याशी को मिले मतों की संख्या से अधिक होती है। अतः विजयी उम्मीदवार को बहुमत का जनसमर्थन प्राप्त न होते हुए भी वह विजयी होता है। इस प्रकार विजयी प्रत्याशी बहुमत का प्रतिनिधित्व नहीं करता।ऐसी स्थिति को स्थाई शासक वर्ग के सिद्धान्त के रूप में राजनैतिक दर्शन में परिभाषित किया जा सकता है।[16]

आयोग द्वारा उठाये गये कुछ सराहनीय कदम :—इसके साथ ही आयोग ने देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने के लिए चुनाव प्रणाली में अनेक सुधार किये जो निम्नलिखित है —

1. चुनावों को पारदर्शी बनाने, चुनाव में अपराधी तत्वों को रोकने एवं अपने जनप्रति—निधियों के बारे में जानकारी हेतु निर्वाचन आयोग ने 28 जून 2002 को निर्देश दिया कि चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को अपने नामांकन पर्चे के साथ ही एक शपथ पत्र देना होगा जिसमें अपनी पत्नी और आश्रितों की कुल चल एवं अचल संपत्तियों व देनदारियों का विवरण, अपनी शैक्षिक योग्यता के साथ ही यदि कोई अपराधी पृष्ठभूमि हो तो उसकी जानकारी, उनके खिलाफ दायर आपराधिक मामलों का विवरण देना होगा। यहाँ तक कि आयोग ने इस तरह के शपथ पत्र न देने वाले प्रत्याशियों का नामांकन निरस्त करने के पीठासीन अधिकारियों के निर्णय को पूर्णतया उचित ठहराया है। आयोग के इस निर्देश को लेकर सभी राजनीतिक दल इस विषय पर एक मत थे कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में सूचना माँगना अनुचित होगा और साथ ही देश के कुछ भागों में कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है कि संपत्ति, नकदी तथा जेवर आदि की घोषणा से सम्पत्ति और उसका स्वामी दोनों खतरे में पड़ सकते है।[17] अपराध के राजनीतिकरण अर्थात् राजनीति में अपराधियों के प्रवेश को रोकने के लिए संसद ने दिसम्बर 2002 में एक विधेयक पारित करके जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन किया, जिसके अनुसार कोई भी अपराधी सजा पूरी करने के छः वर्ष बाद तक चुनाव लड़ने के अयोग्य रहेगा। यदि किसी अपराध में केवल जुर्माना आरोपित किये जाने की स्थिति में भी वह छः वर्ष तक चुनाव में उम्मीदवार नहीं हो सकता।[18]
2. जाली मतदान को रोकने के लिए आयोग ने सन् 2000 में निर्णय लिया कि सभी मतदाताओं के लिए चुनाव के समय फोटो युक्त मतदान पहचान पत्र या कोई अन्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ताकि सही मतदाता ही मतदान कर सकें।

चुनाव सुधार हेतु सुझाव :—लगभग सभी मुख्य चुनाव आयुक्तों एवं नागरिक समाज ने चुनाव सुधार के संबंध में समय—समय पर सिफारिशें करते रहे हैं। इसी क्रम में भारत के तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त एस0वाई0 कुरैशी ने सुझाव दिया कि अपराधी पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाये और इस संबंध में स्पष्ट कानून बनाए जायें।

1. निर्वाचन आयोग समय—समय पर चुनावी व्यय की सीमा तय करता है, आयोग ने लोक सभा के लिए चुनावी खर्च की सीमा 25 लाख से बढ़ाकर 40 लाख और विधान सभा हेतु 10 लाख से बढ़ाकर 16 लाख रूपये करने की सिफारिश की है जिस पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है।[19]
2. दल बदल करने वाले की केवल सदस्यता खत्म करना ही काफी नहीं है, बल्क इसके साथ ही उसे कम से कम 5 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए। दलबदल कानून के संशोधन कर के 1/3 वाले प्रावधान को समाप्त कर दिया जाय

जिससे चुनाव बाद तोड़—फोड़ से बचा जा सके।

3. जैसा कि टी0एन0शेषन ने सुझाया था कि चुनाव प्रचार की अवधि 14 दिन की जाये, इससे चुनाव में होने वाले मनमाने खर्च को कुछ हद तक कम किया जा सकता है।
4. चुनाव में भाग लेने वाले के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता निर्धारित की जाये, जैसा कि के0 संथानम समिति ने सिफारिश की थी।
5. ई0वी0एम0 में उम्मीदवारों के साथ, कोई नहीं का विकल्प भी होना चाहिए ताकि योग्य उम्मीदवार न होने पर मतदाता कोई नहीं के बटन दबाकर अपने मत को दर्शा सकें।
6. 5 जुलाई 2004 को तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त टी0एस0 कृष्णमूर्ति ने 14वीं लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव कानून में नजर आई कमियों के संबंध में सरकार को बताया कि कुछ उम्मीदवारों ने सूचना देते समय कुछ कालमों को खाली छोड़ दिया और कुछ ने अपनी संपत्ति कम दर्शाई।
7. पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एस0वाई0 कुरैशी ने देश में ओपीनियन पोल पर पाबंदी लगाने एवं मतदान के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों के विज्ञापनों पर भी रोक लगाने का सिफारिश किया था।[20]
8. मतदाता सूची एवं मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ दिया जाये और मतदान बटन के बजाय अंगूठे के निशान से हो जिससे फर्जी मतदान पर पूर्णतः रोक लगेगी।
9. वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने निर्वाचन आयोग एवं चुनाव सुधार के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिया है जो निम्न हैं[21]—

1 प्रशासनिक आयोग ने सुझाव दिया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता एवं लोकसभा अध्यक्ष, लोक सभा में विपक्ष के नेता, कानून मंत्री वह राज्य सभा के उपसभापति की सदस्यता से गठित एक निर्णायक मंडल द्वारा की जाये।

2 चुनाव याचिकाओं के त्वरित एवं छः माह के अन्दर निपटारे के लिए क्षेत्रीय स्तर पर विषेश निर्वाचन प्राधिकारणों का गठन किया जाना चाहिए।

3 दल बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता के मुद्दे पर फैसला करने का अधिकार निर्वाचन आयोग के सलाह पर राष्ट्रपति या राज्यपालों के पास होना चाहिए।

आम तौर पर यह सुनने में आता है कि हमारा लोकतंत्र अब प्रौढ़ हो गया है क्योंकि हमारे मतदाता परिवक्व हो गये हैं। किन्तु सच यह है कि मतदाताओं ने शायद ही कभी राजनीतिक दलों के सिद्धान्तों और कार्यक्रमों के आधार पर वोट दिया हो, वोट तो हमेशा व्यक्ति, जाति, धर्म और क्षेत्रीय निष्ठाओं के आधार पर ही दिया गया। इसलिए तो सब पार्टियों ने इस समीकरण को बैठाने, को अपना राजनीतिक कौशल मान लिया है जिसे वे सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं।[22] निष्कर्षतः हम कह सकते है कि लोकतंत्र को सशक्त, पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा उठाए गये कदमों और सुधार हेतु दिये गए सुझाओं के अलावा कुछ ऐसे क्षेत्र जैसे—गरीबी उन्मूलन, साक्षरता को बढ़ावा देना, नागरिकों को मतदेने एवं योग्य उम्मीदवार

चुनने के लिए प्रोत्साहित करना, लोकतंत्र के चौथा स्तम्भ मीडिया की निष्पक्षता एवं जिम्मेदारी सुनिश्चित करना, निर्वाचित प्रतिनिधियों के काम काज की निगरानी करना तथा स्वास्थ एवं जिम्मेदार विपक्ष का निर्माण इत्यादि है। जिन पर सरकार एवं निर्वाचन आयोग दोनों को मिलकर सुधार हेतु साकारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि सही मापने में हमारा लोकतंत्र स्थिर एवं मजबूत हो सके।

सन्दर्भ

1. संधु ज्ञान सिंह, '*'राजनीति सिद्धान्त'*', हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, 2006, पृ0 **291**

2. खुल्लर के.के., '*'चुनावी हंसी–मजाक'*', योजना, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, जनवरी 2009, पृ0 **59**

3. ए0 आई0 आर0 1985, एस0सी0 1233

4. संधु ज्ञान सिंह, ''*राजनीति सिद्धान्त*', हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, 2006, पृ0 **292**

5. संधु ज्ञान सिंह, ''*राजनीति सिद्धान्त*', हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, 2006, पृ0 **292**

6. पाण्डेय जय नारायण, ''*भारत का संविधान*', सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद, 2004 पृ0**18**

7. दुबे अभय कुमार, ''*चुनाव प्रचार– लोकतांत्रिक आदर्श और भारतीय अनुभव*'', योजना, जनवरी 2009, पृ0 **12–14**

8. मेंदीरत्ता एस0 के0, ''*राजनीति का अपराधीकरण*'', योजना, जनवरी 2009, पृ0 **15**

9. मेंदीरत्ता एस0 के0, ''*राजनीति का अपराधीकरण*'', योजना, जनवरी 2009, पृ0 **16**

10. मेंदीरत्ता एस0 के0, ''*राजनीति का अपराधीकरण*'', योजना, जनवरी 2009, मेंदीरत्ता एस0के0, ''*राजनीति का अपराधीकरण*'', योजना, जनवरी 2009, पृ0 **17**

11. दैनिक जागरण, दैनिक समाचार पत्र, वाराणसी प्रकाशन, 2 फरवरी 2011, पृ0 **11**

12. दैनिक जागरण, दैनिक समाचार पत्र, वाराणसी प्रकाशन, 2 फरवरी 2011, पृ0 **11** 14 फरवरी 2011

13. सईद एस0एम0, ''*भारतीय राजनीतिक व्यवस्था*'', सुलभ प्रकाशन, लखनऊ, 2006, पृ0 **298**

14. कृष्णमूर्ती टी0एस0, ''*चुनावी भ्रष्टाचार*', योजना, जनवरी, 2009, पृ0 **23–24**

15. योजना जनवरी 2009, पृ0 **40**

16. सुरेका एम0एल0, '*'ग्रामीण भारत उपेक्षित एवं असंगठित*'', नशनल पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 1999, पृ0 **33**

17. प्रतियोगिता दर्पण, *भारतीय राजव्यवस्था अतिरिक्तांक,* उपकार प्रकाशन, दिल्ली, 2010 पृ0 **157**

18. हिन्दुस्तान दैनिक समाचार पत्र, वाराणसी प्रकाशन, 14 फरवरी 2011

19. हिन्दुस्तान दैनिक समाचार पत्र, वाराणसी प्रकाशन, 13 दिसम्बर 2010

20. दृष्टिकोण मंथन पाक्षिक समाचार पत्र, 1–15 अक्टूबर, 2007, पृ0 **5**

21. दृष्टिकोण मंथन पाक्षिक समाचार पत्र, 1–15 अक्टूबर, 2007, 1–15 मार्च, 2007, पृ0 **2**